रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन)04/0007/2003—18= REGISTERED No. DL—(N)04/0007/2003—18

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित=

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 15—दिसम्बर 21, 2018 (अग्रहायण 24, 1940)=

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 15—DECEMBER 21, 2018 (AGRAHAYANA 24, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)=

भाग III—खण्ड 4=

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसंबर 2018

संख्या. ए–12(11)3/2017–स्था.1.— कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप–धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप–धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप–धारा (1) और धारा 17 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वरिष्ठ उप निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, वरिष्ठ उप निदेशक भर्ती विनियम, 2018 कहे जायेंगे ।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल अथवा वेतनमान. — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनसे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल अथवा वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

4. निरर्हता.— ऐसा कोई व्यक्ति—

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वे किसी व्यक्ति को इन विनियमों के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वे केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, कारणों को लेखबद्ध करके, किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंधों में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं ।

6. अवशिष्ट उपबंध.— इन विनियमों के उपबंधों के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पदों की तदनुरूपी श्रेणी पर लागू कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) विनियम, 1965 में उल्लिखित अन्य सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित पद पर लागू होंगे।

7. व्यावृत्ति.— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल अथवा वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वरिष्ठ उप निदेशक	180* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय है।)	समूह 'क', अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल–11 (रु 67,700 – 2,08,700)	चयन पद

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति – क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(11)
पदोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (रु 56,100–1,77,500) में लेवल 10 में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले उप निदेशक। टिप्पणी–1 : पदोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा समूह 'क' अधिकारियों के लिए तैयार 'बी–1' स्तर के प्रशिक्षण के समापन की शर्त के अधीन होगी। टिप्पणी–2 : दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को पदोन्नति हेतु इस प्रशिक्षण को पूरा करने से छूट होगी। टिप्पणी–3 : विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पहले पदोन्नति के लिए जिन व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूरा नहीं किया, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा।

टिप्पणी—4 : जहाँ पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि अपनी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे होता है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :— 1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष; 2. बीमा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य; 3. बीमा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य;	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक।

राज कुमार
महानिदेशक

———————————

सं. ए—12(11)3/2017—स्था.1.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप—धारा (2क) और उप—धारा (2) के खण्ड (xxi) और धारा 17 की उप—धारा (2) के खण्ड(क) के परंतुक के साथ पठित उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड 'बी'/संयुक्त निदेशक के भर्ती विनियम, 2013 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड 'बी'/संयुक्त निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड 'बी'/संयुक्त निदेशक भर्ती विनियम, 2018 कहे जाएँगे।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल अथवा उक्त पद से संबद्ध वेतनमान, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. निरर्हता.— ऐसा कोई व्यक्ति—

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

   (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

   परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वे किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

6. अवशिष्ट मामले.— इन विनियमों के उपबंधों के अधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पदों की तदनुरूपी श्रेणी पर लागू कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) विनियम, 1965 में उल्लिखित अन्य सभी विनियम और अनुदेश, पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

7. व्यावृत्ति.— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण उम्र की छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य वर्गो के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल अथवा वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड 'बी' / संयुक्त निदेशक	94* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय है)	समूह 'क', अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 (78,800—2,09,200— रुपये)	चयन पद

सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के मामले में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है।	भर्ती की पद्धति — क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर अल्पावधि संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।
(11)
पदोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 (67,700—2,08,700 रुपये) में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ उप निदेशक। टिप्पणी 1 : पदोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा समूह 'क' अधिकारियों के लिए तैयार 'बी'—2 स्तर के प्रशिक्षण के समापन की शर्त के अधीन होगी। टिप्पणी 2 : विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पहले पदोन्नति के लिए जिन व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूरा नहीं किया, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा। टिप्पणी 3 : दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को पदोन्नति हेतु ऐसे प्रशिक्षण को पूरा करने से छूट होगी। टिप्पणी 4 : वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 (67,700—2,08,700 रुपये) में उप निदेशक (वरिष्ठ काल—मान) नाम के अंतर्गत अकार्यात्मक वेतनमान में वर्तमान उप निदेशकों द्वारा दी गई सेवा भी इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा के रूप में परिकलित की जाएगी। टिप्पणी 5 : जहाँ पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी,— (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 (67,700—2,08,700 रुपये) के पदों में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, अथवा (iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 (56,100—1,77,500 रुपये) के पदों में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव प्राप्त हो : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; और

(ii) वित्तीय अथवा प्रशासनिक मामलों अथवा सामाजिक सुरक्षा योजना अथवा श्रम कानूनों में दस वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी (1) : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो सीधी पदोन्नति की पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी (2) : केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग–बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी (3) : प्रतिनियुक्ति के लिए नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे होगा	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (पदोन्नति के विचारार्थ) :— (1) अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष; (2) बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य ; (3) बीमा आयुक्त (भर्ती), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राज कुमार
महानिदेशक

————————————

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 13th December 2018

No. A-12(11)3/2017-Estt. I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Senior Deputy Director in the Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Senior Deputy Director Recruitment Regulations, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in the pay matrix or pay scale.— The number of post, its classification, and level in the pay matrix or pay scale attached to the said post, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, —

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

   Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.

5. Power to relax.— Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, after taking prior approval of the Central Government and in consultation with the Union Public Service Commission, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.

6. Residuary matters.— Subject to the provisions of these regulations, all other regulations and instructions, laid down in the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1965 applicable to the corresponding category of posts in Employees' State Insurance Corporation, shall apply to the post specified in the Schedule annexed to these regulations.

7. Savings.— Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Deputy Director	180* (2018) *(Subject to variation dependent on workload).	Group 'A', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level -11 in the pay matrix (Rs. 67,700—2,08,700).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Director with five years' regular service in Level -10 in the Pay Matrix (Rs. 56,100—1,77,500). Note 1: Promotion shall be subject to completion of level 'B'-1 training for Group 'A' Officers devised by the Employees' State Insurance Corporation. Note 2: Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Note 3: Those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training shall be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 4: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Insurance Commissioner, Employees' State Insurance Corporation. -Member ; 3. Insurance Commissioner, Employees' State Insurance Corporation. – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

RAJ KUMAR
Director General

No. A-12(11)3/2017-Estt. I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the section and proviso to clause (a) of sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation, Regional Director Grade 'B'/Joint Director Recruitment Regulations, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Regional Director Grade 'B'/Joint Director in the Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Regional Director Grade 'B'/Joint Director Recruitment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in pay matrix.— The number of post, its classification, level in the pay matrix or pay scale attached to the said post, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.

5. Power to relax.— Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, after taking prior approval of the Central Government and in consultation with the Union Public Service Commission, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.

6. Residuary matters.— Subject to the provisions of these regulations, all other regulations and instructions, laid down in the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1965 applicable to the corresponding category of posts in the Employees' State Insurance Corporation, shall apply to the post specified in the Schedule above referred to.

7. Savings.— Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix or pay scale.	Whether selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Regional Director Grade 'B'/ Joint Director	94* (2018) *(subject to variation dependent on work load).	Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level -12 in the pay matrix (Rs. 78,800-2,09,200)	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Promotion: Senior Deputy Director with five years' regular service in level-11 in the pay matrix (Rs. 67,700—2,08,700). Note 1: Promotion shall be subject to completion of level-'B'-2 training for Group 'A' officers devised by the Employees' State Insurance Corporation. Note 2: Those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to the condition that the required training shall be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 3: Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training for promotion. Note 4: The Service rendered by existing Deputy Directors in non-functional pay scale under the nomenclature of Deputy Director (Senior Time Scale) in level-11 in the pay matrix (Rs. 67,700-2,08,700) as on the date of notification of these regulations shall also be counted as minimum qualifying service for promotion. Note 5: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Public Sector undertakings or Statutory and Autonomous bodies: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in posts in level-11 in the pay matrix (Rs.67,700-2,08,700) in the Parent cadre or Department; or (iii) with ten years' regular service in posts in level-10 in the pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500) in the Parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree of a recognised University; and (ii) ten years experience in financial or administrative matters, or dealing with Social Security Scheme or labour laws. Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman ; 2. Insurance Commissioner (Personnel and Administration), Employees' State Insurance Corporation. – Member; 3. Insurance Commissioner (Recruitment), Employees' State Insurance Corporation. – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

RAJ KUMAR
Director General

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF THE PUBLICATIONS, DELHI-110054

BANSHI DHAR DUBEY
Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2018.12.15 15:43:59 +05'30'